न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 34/2016 दायर दिनांकः 19.5.2016

लालचन्द पुत्र चूनाराम जाति रेगर निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ (फौत) जरियेः–
1/1. पार्वती देवी पत्नी लालचन्द जाति रेगर निवासी वार्ड न. 32, सूरतगढ़
1/2. किशनलाल पुत्र लालचन्द जाति रेगर निवासी वार्ड न. 32, सूरतगढ़ 0
1/3. सुखराम पुत्र लालचन्द जाति रेगर निवासी वार्ड न. 32, सूरतगढ़
1/4. उषा पुत्री लालचन्द पत्नी लालचन्द निवासी ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
1/5. आशारानी पुत्री लालचन्द पत्नी रमेश निवासी ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
1/6. पुष्पादेवी पुत्री लालचन्द पत्नी रामस्वरूप निवासी गोपालसर तहसील सूरतगढ़
1/7. विनोद पुत्र लालचन्द जाति रेगर निवासी वार्ड 32, सूरतगढ़
1/8. राधा पुत्री लालचन्द जाति रेगर पत्नी कालूराम निवासी गोपालसर तहसील सूरतगढ़

–अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
2. नगरपालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़

–रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा, श्री रामस्वरूप बारूपाल
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 पैरोकार राज
3. रेस्पोडंट न. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा

दिनांकः–20.04.2022

निर्णय

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 02.06.2006 जिसके द्वारा अपीलांट का रोही सूरतगढ़ खसरा न. 267 की 6.325 है0 टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2006 अपीलांट को बिना सुने, बिना विधिवत सूचना जारी कर तामील करवाये एकतरफा तौर पर मिसल के मूल रिकार्ड, विधि विरूद्व और प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत पारित किया है। अधीनस्थ न्यायायल ने उक्त आदेश जारी कर अपीलांट के 43 वर्ष पुरानें टी.सी.आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलान्ट को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेषन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते सन 1995 के प्रावधानो के अन्तर्गत सन् 1977 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन सें लेकर लगातार नवीनीकरण होता रहा तथा आवंटन की दिनांक से लेकर लगातार जैर अपील रकबा पर अपीलांट का कब्जा काष्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व आवंटी को नियमानुसार तामील करवाये बिना ही एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेष पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेष पारित करने से पूर्व अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय को उक्त टी.सी. आवंटन खारिज करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। पैराफेरी क्षेत्र स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने के नियम व पद्दति तथा प्रणाली राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अपीलांट्स उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है। अपीलाधीन आदेष निर्णय की परिभाषा में नही आता, क्योंकि उक्त निर्णय, प्रिटेंड प्रर्फोमा पर ही जारी किया गया है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग नही किया गया। उक्त निर्णय साइक्लोस्टाईल निर्णय की परिभाषा में आता है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे व मातहत न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06..2006 निरस्त फरमाया जावें।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रकरण में प्रार्थीगण पार्वती पत्नी लालचन्द, विनोद, सुखराम, किशनलाल पुत्र लालचन्द रेगर निवासी वार्ड न. 32 सूरतगढ़ द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 22.12.2017 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी मय अपीलांट लालचन्द का मृत्यु प्रमाण पत्र व कार्यालय नगरपालिका मण्डल सूरतगढ़ द्वारा लालचन्द पुत्र चूनाराम का सदस्य प्रमाण पत्र की ओर ध्यान दिलाया। प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व संलग्न दस्तावेजों को अवलोकन किया। अपीलांट लालचन्द की मृत्यु दिनांक 16.10.2017 को हुई है तथा अपीलांट के वारिसान द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी दिनांक 22.12.2017 को प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार जाकर अपीलांट लालचन्द के वारिसान को प्रकरण में अपीलांट के तौर पर संयोजित किया जाता है। प्रकरण में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका द्वारा दिनांक 28.02.2020 को आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उभय पक्ष की बहस सुनकर दिनांक 28.03.2021 को नगरपालिका सूरतगढ को पक्षकार बनाया गया।अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा व श्री रामस्वरूप बारूपाल उपस्थित हुए तथा रेस्पो0 संख्या 1 पैरोकार राज हाजिर आये व रेस्पो0 संख्या 2 नगरपालिका सूरतगढ की तरफ से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2006 अपीलांट को सुने बिना, बिना साक्ष्य के अपीलांट के 43 वर्ष पुरानें आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.06.2006 में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि नगरपालिका की परिधि में आ चुकी है, इसलिए नवीनीकरण नही किया जा सकता। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका पैराफरी क्षेत्र में आना मानकर अपीलांट का रकबा खारिज फरमा दिया गया व रकबा बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये। उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में पटवारी हल्का के शपथ पत्र व ब्यान नही लिये गयें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व ना तो अपीलांट को नियमानुसार तलब किया गया गया तथा नही साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में आना मानकर उक्त रकबा खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा नगरपालिका की पैराफेरी सीमा से बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलबध नहीं है, जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। कई अवसरों पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार को टी.सी. आवंटन खारिज करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैरअपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

लागू नहीं होते। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे जबकि अपीलांट की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी है। उक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकेशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्लयू 2016 (I) रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 8376/2006 अनवान मल्लूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 की प्रतियों की ओर ध्यान दिलाया। अपीलांअ अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि मातहत न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत रूप से नोटिस तामील नहीं करवाया गया है। न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू. 2010 पेज न. 174 व आरआरडी 1999 पेज न. 346 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि यदि पक्षकारान को विधीवत नोटिस तामिल नही हुए है तो मियाद जानकारी की तिथी से मानी जानी चाहिए। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 02.06.2006 खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया।

5. पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। उसके उपरान्त उक्त भूमि नगरपालिका की पेराफैरी व मास्टर प्लान में आ गयी जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। टी.सी. आवंटन के खारिज के बाद नवीनीकरण का पट्टा नही है। अतः अपील स्वीकार योग्य नहीं है अतः अपील खारिज की जावे।

6. रेस्पो. संख्या 02 नगरपालिका सूरतगढ़ के अधिवक्ता ने दौराने बहस धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र का विरोद्ध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.06.2006 का है, तथा यह अपील 10 वर्ष पश्चात दिनांक 19.5.2016 को पेश की गई। दस वर्ष की देरी माफी योग्य नही है। टी.सी. आवंटी को प्रतिवर्ष अपना टीसी आवंटन नवीनीकरण करवाने के लिए तहसील कार्यालय में आना पडता है, कब्जा काश्त की रिपोर्ट प्रस्तूत करनी पडती है। अपीलाट को जैरअपील आदेश पूर्णतया जानकारी थी उन्होने जानबुझकर अपील पेश नही की थी। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई उचित कारण नही बताया है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2015(2) पेज न. 1090, आर आर टी 2015 (1) पेज न. 232, आर आर टी 2002 पेज न. 33, आर आर टी 2010 पेज न. 801 की ओर ध्यान दिलाया। रेस्पो. 02 के अधिवक्ता ने मैरिट पर बहस करते हुए कथन किया कि टी.सी. आवंटन मात्र एक साल के लिए होता है व अवधि समाप्त होते ही टी.सी. आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। आरआरडी 1995 पेज न. 431, आर आर टी 2018 पेज न. 364, आर बी जे 1999 पेज न. 214 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि टी.सी. आवंटी को टी.सी. आंवटन के रकबा में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। रकबा पैराफेरी क्षेत्र में है जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन है, ऐसे निर्णय को कभी भी निरस्त कराया जा सकता है। अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 02.06.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के अपीलाट के टी.सी.आवंटन रकबा नवीनीकृत होता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन में राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए अपीलांट का उक्त टी.सी. आवंटन खारिज किया है। इसके अलावा राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते, क्योंकि जैरप्रकरण भूमि अपीलांट को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 9 (25) राज/16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है, वह भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन व विधिविरूद्ध होनें से त्रुटिपूर्ण है जों निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा मिसल संख्या 32/2006 अनवान सरकार बनाम लालचन्द पुत्र चुनाराम रेगर निवासी सूरतगढ़ में दिनांक 02.06.2006 को पारित निर्णय निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)